



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Civil Writ Petition No. 24826/2025

Himmat Singh Gehlot S/o Shri Satyanarayan Gehlot, Aged About 32 Years, R/o Suliya Bera, Chhokha Road, Chopasani, Jodhpur 342001.

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Chief Secretary, Jaipur.
2. Home Department, Through Additional Chief Secretary, Jaipur.
3. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Mines And Geology Department, Jaipur.
4. Secretary, Legal Metrology, (Weights And Measures) Department, Rajasthan, Jaipur.
5. Director Of Mines And Geology, Department, Udaipur.
6. Legal Metrology Department, Jodhpur.
7. District Collector, Jodhpur.
8. Commissioner Of Police, Jodhpur
9. Commissioner, Jodhpur Development Authority, Jodhpur.
10. Regional Officer, National Highways Authority Of India, Regional Office, Jaipur.
11. Project Director, National Highways Authority Of India.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajesh Joshi, Sr, Adv. assisted by
Mr. Rishi Soni,
Ms. Kamini Joshi
Mr. Anirudh Kothari

For Respondent(s) : Mr. B.L. Bhati, AAG assisted by
Mr. Deepak Chandak

Mr. Mahaveer Bishnoi, AAG

Dr. Sachin Acharya, Sr. Adv. assisted
Mr. Piyush Sharma, Ms. Nishtha Mittal
& Mr. Dinesh Kumar.
Mr. Rajat Dave
Ms. Khushbu Choudhary

Ms. Shalini Niraj, ADCP present in
person.

**HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI
HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP SHAH**



Order

22/01/2026

1. An application (IA No.1/26), for impleadment of the applicant therein as party respondent in the present case, has been moved by Dr. Sachin Acharya, learned Senior Advocate assisted Mr. Piyush Sharma, Ms. Nishtha Mittal & Mr. Dinesh Kumar.

2. For the reasons mentioned in the application and there being no opposition from counsel for the other parties, the same is allowed. The applicant, as mentioned in the application (IA No.1/26), is impleaded as party respondent in this case. Let the amended cause title be filed within a period of one week.

3. The attention of this Court has been drawn towards the letter dated 21.01.2026 issued by the Office of Executive Engineer, PWD, City Division, Jodhpur to the Sub Divisional Officer, Jodhpur (North), letter dated 02.01.2026 issued by issued by the Authorized Officer, Tehsildar (Zone-05), Rajkaj (office of the JDA) to the Assistant Engineer, Chokha, Vidyut Vitran Nigam Limited, Jodhpur and the letter dated 17.10.2025 issued by the Project Director, NHAI to the District Collector, Jodhpur; the said letters read as under:

Letter dated 21.01.2026:

“कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. नगर खण्ड, जोधपुर

क्रमांक: 9400

दिनांक : 21/1/26

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी,

जोधपुर (उत्तर)।

विषय: Necessary action regarding News on dated 09.08.2025 in new paper Dainik Bhaskar about “अंधाधुंध डंपर: बाइक को चपेट में ले ट्रक में घुसा, बीच में वृद्धा कुचली गई, मौत”।

महोदय,





उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस खण्ड कार्यालय के अधिन आने वाली सड़क "संपर्क मंडोर से सूरसागर वाया बालसमंद" उक्त सड़क पर खनिज विभाग रॉयल्टी नाका (धर्मकांटा) जो कि मेसर्स रिद्धि सिद्धि जोधपुर के नाम से स्वीकृत है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी ग्राम मंडोर प्रथम की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार उक्त रॉयल्टी नाका (धर्मकांटा) खसरा संख्या [2062/1565](#) में स्थित है। जिसकी किस्म गैर मुमकिन सड़क की भूमि मार्ग है, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर के नाम दर्ज है।

अतः इस संबंध में लेख है कि उक्त रॉयल्टी नाका (धर्मकांटा) मौके पर यातायात में अवरोध होने व सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अन्यत्र शिफ्ट कराने का श्रम करावें। वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

एसडी / -

(धर्माराम)

अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि. नगर खण्ड, जोधपुर"

Letter dated 02.01.2026:

"कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर

क्रमांक:- एफ.43 / प्र.शा. / जोन-5 / 2025 /

राजकाज ई-फाइल नं. 20075

प्रेषित:-

सहायक अभियन्ता, चौखा

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

जोधपुर।

विषय: विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अप्रार्थी चुतराराम पुत्र रामलाल विश्नोई द्वारा ग्राम शहरी नगर के खसरा संख्या 1450/1 किस्म गैर मुमकिन गोवा व रास्ता एवं खसरा संख्या 1474/4 किस्म गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर धर्मकांटा व ऑफिस (आंशिक) का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया। अप्रार्थी को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 25.11.2025 को नोटिस जारी किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 15.12.2025 को बदेखली के आदेश पारित किया जा चुका है। अतः आप अप्रार्थी द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने के लिए अपने अधीनस्थ टीम को ओदशित करावें।

प्राधिकृत अधिकारी

तहसीलदार (जोन-05)"

Letter dated 17.10.2025:

"भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)





क्र: भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा-आमजन/3059

दिनांक 17.10.2025

प्रेषित

श्रीमान जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-125/एनएच-125ए) की ROW/ग्रीन बेल्ट पर बिना वैधन एनओसी/अनुमति अवैध रूप से स्थापित धर्मकांटे एवं नाके (Weight-bridge/approach) – NHAI के नोटिस के बावजूद हटवाने में विफलता, विभागीय लापरवाही, सड़क जोखिम और पुलिस जाब्ता उपलब्ध न करवाने पर त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही हेतु शिकायत।

सन्दर्भ: (1) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/3004 दिनांक 13.10.2025 (खनि अभियन्ता)।

(2) पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) का पत्रांक व.15()पु.उपा./जोध-विविध/2025/1011 दिनांक 20.09.2025 (जिला कलक्टर महोदय को सम्बोधित)।

(3) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/2477 दिनांक 18.08.2025 (पुलिस उपायुक्त, पश्चिम)।

(4) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/2454 दिनांक 13.08.2025 (पुलिस उपायुक्त पश्चिम)।

(5) इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस क्रमांक 2247 दिनांक 30.07.2025 (धर्मकांटा संचालक को नोटिस)

(6) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/2226 दिनांक 29.07.2025 (जिला कलक्टर, जोधपुर)।

(7) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/2118 दिनांक 19.07.2025 (जिला कलक्टर, जोधपुर)।

(8) भाराराप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का ई-मेल दिनांक 10.07.2025।

(9) इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस क्रमांक 1983 एवं 1984 दिनांक 08.07.2025 (धर्मकांटा संचालक को नोटिस)।

(10) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/1798 दिनांक 23.06.2025 (खनि अभियन्ता)।

(11) खनि विभाग का पत्रांक राजकाज 15551973 दिनांक 27.05.2025।

(12) इस कार्यालय का पत्रांक भाराराप्रा/पकाई-जोध/2025/सड़क सुरक्षा/आमजन/1415 दिनांक 26.05.2025 (खनि अभियन्ता)।

(13) प्राथी श्री सोहनलाल का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र (1) के संबंध में अवगत कराना है कि जोधपुर रिंग रोड पर विभिन्न सीनों पर रायल्टी नाके मय धर्मकांटों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र (12) द्वारा खनि अभियन्ता से धर्मकांटों को स्थापित करने हेतु अपनाये गये





मापदण्ड एवं सीपित किये जाने के आदेश उपलब्ध कराने हेतु लिखा परन्तु खनि अभियन्ता द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये, धर्मकांटे निम्नानुसार हैं:-

1. एनएच-125ए पर डाली बाई चौराहे के बिल्कुल पास ही सर्विस रोड पर 0 (शून्य) मीटर दूरी पर।
2. एनएच-125ए नारवा गांव के पास कृषि भूमि में बिना एनएचएआई के एनओसी के।
3. एनएच-125 पर राजस्व ग्राम केरू के खसरा संख्या 1174 पर स्थित है।
4. श्री श्री 1008 संत श्री लिखमीदास जी धर्म कांटा गांव चौखा

राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार के निर्माण/व्यवसायिक गतिविधियों से पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाईन RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) दिनांक 26.06.2020 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होती है जो कि प्राप्त नहीं की है। साथ ही राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-9/भूमि रूपान्तरण) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.2(63) राजस्व-9/भूरू./2021 जयपुर, दिनांक 18.11.2021 एवं राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिन्दु से निम्नानुसार दूरी छोड़ कर निर्माण/संपरिवर्तन किये जाने का प्रावधान है:-

क्रं.स.	सड़क श्रेणी	केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी जिसके भीतर आने वाली भूमि संपरिवर्तन योग्य नहीं है	केन्द्र बिन्दु से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है
1.	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	40 मीटर	75 मीटर
2.	एम.डी.आर.	25 मीटर	60 मीटर
3.	ओ.डी.आर.	15 मीटर	17.5 मीटर
4.	ग्रामीण सड़क	12.5 मीटर	15 मीटर

उक्तानुसार अनुसार भी राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से दूरी नहीं छोड़ी गई है।

इस कार्यालय द्वारा उक्त रायल्टी नाके मय धर्मकांटों को हटाये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 26 की उप धारा (2) के तहत सड़क सीमा में किये गये अतिक्रमण एवं बिना अनुमति के एक्सेस निर्माण बाबत नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अतिक्रमण हटाने बाबत 7 दिन की अवधि प्रदान की गई थी, जो अवधि समाप्त हो चुकी है।

तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (3 व 4) के माध्यम से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) से पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया था, परन्तु आज





दिनांक तक पुलिस जाबता उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त धर्मकांटों को हटाया नहीं जा सका।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के संदर्भित पत्र (2) द्वारा आपके कार्यालय को पत्र सम्बोधित करते हुए उल्लेख किया कि उक्त चारों नाका/धर्मकांटे खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत किए हुए हैं जिनको हटाने पर कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना एवं सरकार को राजस्व हानि होने से संबंधित है जो कि नितिगत मामला है, जिस हेतु प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस/यातायात पुलिस अधिकारी, खनिज विभाग एवं भाराराप्रा के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी गठित कर उक्त मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही की जाना उचित होने का उल्लेख किया है।

अतः आपसे निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड सेक्शन-1 में उपरोक्त स्थानों पर अवैध रूप से स्थापित रायल्टी नाके मय धर्मकांटे जो कि नियम विरुद्ध संचालित किये जा रहे हैं, इनको हटाने बाबत आवश्यक पुलिस जाबता उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करावें, ताकि सडक सीमा में से अवैध रूप से संचालित धर्मकांटों को हटाया जा सके एवं इनके अवैध संचालन के कारण होने वाली सम्भावित सडक दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

एसडी/-

(हरमेन्द्र सिंह रोत्रवाल)
परियोजना निदेशक"

4. The progress report filed along with the affidavit of the Additional Deputy Commissioner of Police (Traffic), Jodhpur Commissionerate, indicate that certain actions have been taken in connection with the accident in question, wherein four persons died at a distance of about 300 meters from the Dharam Kanta.

5. Learned counsel for the respondent- NHA I submits that no construction can be made within 75 meters from mid of the road, as per the norms applicable in the present case owing to the location in question.

6. At this stage, learned counsel for the State, respondent- NHA I and JDA seek some time to file the necessary response.

7. Heard.

8. All the parties in the present case are represented through their respective counsel.





9. The order dated 20.01.2026[®] passed by the learned Single Bench of this Hon'ble Court in S.B. Civil Writ Petition No.1445/2026 (M/s. Ridhi Sidhi Housing Pvt. Ltd. & Ors. Vs. Jodhpur Development Authority, Jodhpur & Ors.), whereby the learned Single Bench, on the basis of undertaking of the learned counsel representing the respondents, directed that no coercive action/orders shall be taken/passed against the petitioners, and further, the petitioners who were carrying a contract qua the Mining Department may proceed in accordance with law.

10. Ordinarily, this Court would not like to interfere in such matters at the current stage, but looking into the gravity of the case, wherein four human lives have lost in the accident in question, this Court cannot remain a mute spectator.

11. This Court deems it appropriate to modify the aforesaid directions given in the order dated 20.01.2026, to the extent that any construction without adherence to the applicable norms regarding construction is unlawful and the said order is modified accordingly so as to ensure that it does not become a cause of consuming human lives due to accidents. At this stage, an assurance is given by Dr. Acharya, learned Senior Advocate representing the persons concerned to this Court that any violation of the applicable norms of Highway where operations/constructions are existing within 75 meters from the center point of the Highway, then it shall be *suo-moto* removed by the parties in question (applicant, whose application was allowed) within a period of two weeks from today. Looking into the sensitivity and gravity of the case, this Court directs that any unlawful construction within 75 meters of the Highway shall be





removed by the concerned parties as assured by Dr. Acharya, learned Senior Advocate by 06.02.2026, failing which, the respondents shall ensure to take all steps for removal of such constructions by 09.02.2026.

12. On the next date, the State and the NHAI shall also address this Court on the issue whether the applicable norms of construction alongside the Highway are being strictly adhered to. The respondents shall be required to ensure that the prohibitions of construction and activity as per the NHAI norms shall be strictly maintained. The State and NHAI are directed to file an affidavit as to the existing unauthorized constructions in and around the highways, which are unlawful as per the prescribed and applicable norms and how they propose to remove them to ensure that the accidents on the highways are not caused by such activity/construction. The NHAI shall also furnish an independent report before this Court regarding the distance parameters violations on and around National Highways in the State of Rajasthan.

13. Mr. Joshi, learned Senior Advocate submits that his prayer for removing the constructions violating the distance norms in and around the Highways ought to be taken into consideration to avoid and reduce the chances of accidents and for ensuring road safety. Dr. Acharya, learned Senior Advocate also supports the prayer to the extent that not only the constructions in question, but also any other violation of the National Highway norms ought to be kept into consideration by the Court to ensure road safety and avoidance of accidents. This Court while giving full credence to such submissions made by both the learned Senior Advocates,





[CW-24826/2025]

directs the respondents to address this Court on the next date along with their respective affidavits pointing out the violations and solutions regarding the constructions falling within the prohibited zone of the Highways.

14. List the matter on **09.02.2026**.

(SANDEEP SHAH),J

(DR. PUSHPENDRA SINGH BHATI),J

102-mohit/-